

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मई, 2017-वैशाख 29, शके 1939

### भाग 3 (1)

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

मैं, ऐनुद्दीन सिद्दीकी ये घोषणा करता हूँ कि मेरी दसवीं की अंकसूची में मेरा नाम ऐनुद्दीन होने के कारण मेरे सन् 1983 में बने पासपोर्ट में मेरा नाम ऐनुद्दीन लिखा गया था जबकि उसके बाद में रेलवे की नौकरी ज्वाइन करने पर मेरा नाम ऐनुद्दीन सिद्दीकी हो गया है और उसके बाद से मेरे समस्त रिकार्ड जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पास बुक व ड्राइविंग लायसेंस में मेरा नाम ऐनुद्दीन सिद्दीकी दर्ज है जो कि सही है. अतः भविष्य में मेरा नाम सभी दस्तावेजों में शासकीय, अशासकीय कार्यालयों में ऐनुद्दीन सिद्दीकी लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(ऐनुद्दीन)

(105-बी.)

नया नाम :

(ऐनुद्दीन सिद्दीकी)

पिता श्री शरफुद्दीन,

निवासी-डी ब्लॉक, अप्सरा अपार्टमेंट,

सिविल लाईन, जबलपुर (मध्यप्रदेश).

#### उप-नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती पूजा तारे पति श्री राघवेन्द्र सुसर्ला, आयु 36 वर्ष, पता-सी-3, ओनेक्स पैलेस, ललिता नगर, कोलार रोड, भोपाल यह कि मेरा विवाह राघवेन्द्र सुसर्ला से सम्पन्न हुआ है. विवाह उपरान्त मेरा नाम पूजा सुसर्ला (Pooja Susarla) पति श्री राघवेन्द्र सुसर्ला हो गया है किन्तु मैं अपना नाम पूजा तारे पति श्री राघवेन्द्र सुसर्ला करवाना चाहती हूँ. जहां कहीं भी मेरा नाम पूजा सुसर्ला दर्ज हो वहां पर मेरा नाम पूजा तारे (Pooja Tare) पति श्री राघवेन्द्र सुसर्ला पढ़ा, लिखा जावे.

पुराना नाम :

(पूजा सुसर्ला)

(Pooja Susarla)

पति श्री राघवेन्द्र सुसर्ला.

(106-बी.)

नया नाम :

(पूजा तारे)

(Pooja Tare)

पति श्री राघवेन्द्र सुसर्ला,

पता-सी-3, ओनेक्स पैलेस, ललिता नगर,

कोलार रोड, भोपाल.

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. जीवन यार्न एजेन्सी, 356 वार्ड नं. 21, भारतीय स्टेट बैंक के पास, शनवारा, बुरहानपुर भागीदारी फर्म में निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है।

फर्म के एक भागीदार श्री साकेत भरतीया पिता श्री सुनील भरतीया दिनांक 31-03-2017 से फर्म से अलग हो गये हैं।

दिनांक 01-04-2017 से मे. जीवन यार्न एजेन्सी फर्म में निम्न भागीदार नियमित व्यवसाय करते रहेंगे-

1. राजेन्द्र कुमार जालान पिता श्री गोविन्दराम जालान

2. राजेश बगडिया पिता श्री भगवती प्रसाद बगडिया

फर्म के सविधान में उपरोक्तानुसार संशोधन किया गया है जो सनद रहे।

वास्ते-मे. जीवन यार्न एजेन्सी,

राजेश बगडिया,

(भागीदार).

(115-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म प्योर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, पता-प्लॉट नं. 7, सेक्टर ई, मयूर विहार अशोका गार्डन, भोपाल म. प्र. है जो कि वर्ष 2011-12 में बनी थी जिसके मूल 3 भागीदार थे. 1. श्रीमती पाकिजा बानो, 2. श्रीमती खादिजा बानो, 3. श्री शोकत अली खान थे. वर्ष 2016-17 दिनांक 07-06-2016 को श्री शोकत अली खान द्वारा फर्म से सेवानिवृत्ति ली गई तथा श्री शोकत अली खान के स्थान पर तीसरे भागीदार के रूप में साहिब अब्दुससमद कुरैशी को शामिल किया गया है. श्री शोकत अली का फर्म में 07-06-2016 से किसी प्रकार का लेना-देना शेष नहीं है. उपरोक्त फर्म के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संस्था का भागीदारों से संबंधित कोई भी लेना-देना है तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस के अन्दर मय दस्तावेजी साक्ष्य के आपत्ति करें. अवधि के बाद इस फर्म के भागीदारी से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति बंधनकारी नहीं होगी.

प्योर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,

पाकीजा बानो,

(भागीदार).

(107-बी.)

### आम सूचना

मैं, अपने पक्षकार मेसर्स सृष्टि बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स जिसका पता म. नं. 54, शॉप नं. 02, कोतवाली रोड, भोपाल है एवं जिसका पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाओं, भोपाल में पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00482/13, जो कि दिनांक 15-02-2013 के साझेदार प्रकाश बंसल एवं पदम कुमार जैन निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है. मेसर्स सृष्टि बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स भागीदार क्र. 01 पदम कुमार जैन, 02. अजय कुमार जैन, 03. गौरव जैन, 04. प्रकाश बंसल हैं जिसमें कि दिनांक 31-03-2017 भागीदारी विलेख निष्पादित किया गया है जिसमें भागीदार क्र. 01 श्री पदम कुमार जैन पुत्र श्री कपूरचन्द जैन एवं 04. श्री प्रकाश बंसल पुत्र श्री बाबूलाल बंसल को साझेदारी फर्म से हटा दिया गया है एवं नये भागीदारी के रूप में श्री मनीष कुमार जैन पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार जैन, पता-51, लोहा बाजार चौक, भोपाल को फर्म में सम्मिलित किया गया है जो कि नये रूप में भागीदार क्र. 03 कहलायेंगे. यह कि उपरोक्त तिथि के बाद साझेदार प्रकाश बंसल एवं पदम कुमार जैन फर्म के किसी संव्यवहार के लिये जिम्मेदार नहीं होंगे.

अतः सर्व-साधारण को सूचित हो.

द्वारा-मेसर्स सृष्टि बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स,

प्रकाश बंसल,

(भागीदार),

(108-बी.)

### आम सूचना

मैं, अपने पक्षकार मेसर्स इन्शा इन्डस्ट्रीज जिसका पंजीयन फर्म एवं संस्थाओं, भोपाल में पंजीयन क्र. 01/01/01/0257/16, दिनांक 21-10-2016 को साझेदार मो. वसीम खान एवं रघुवीर साहू के निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स इन्शा इन्डस्ट्रीज भागीदार क्र. (01) मो. वसीम खान, (02) रघुवीर साहू जिसमें कि दिनांक 10-02-2017 को साझेदारी विलेख निष्पादित किया गया है. जिसमें रघुवीर साहू पुत्र श्री मांगीलाल साहू को साझेदारी फर्म से हटा दिया गया है तथा मो. वसीम खान स्वामित्व रूप से फर्म का संचालन करेंगे.

अतः दिनांक 10-02-2017 से यह फर्म विघटित मानी जावे एवं स्वामित्व फर्म के रूप में सारे अधिकार मो. वसीम खान में निहित रहेंगे.

द्वारा-जिया जमाली (अधिवक्ता)

रोशन एकाउन्ट चैम्बर,

इमामीगेट चौराहा, भोपाल.

(109-बी.)

**Notice U/s 72 of the Indian Partnership Act, 1932**

Notice is hereby given that the firm "M/s. Manish Kumar Acharya" of Bhopal vide Registration No. 01/05/01/00404/2009-2010 date of Registration 26-03-2010 undergone the following changes :-

1. That Shri C. K. Varma S/o Shri J. P. Varma desire to retire from the partnership firm w.e.f. 29-08-2011.

M/s. Manish Kumar Acharya,  
**SATISH KUMAR ACHARYA,**  
(Partner).

(110-B.)

Andar Killa, Behind Badi Haveli, Vidisha (M. P.)

**Notice U/s 72 of the Indian Partnership Act, 1932**

Notice is hereby given that the firm "M/s. R M V Construction" of Bhopal vide Registration No. 01/01/01/00087/13, 2013-2014 dated 10-05-2013 undergone the following changes :-

1. That Shri Vatsayan Jain S/o Shri Ashok Jain has desire to retire from the partnership firm w.e.f. 31-12-2014.

"M/s R M V Construction",  
**BHUPENDRA SINGH,**  
(Partner).

(111-B.)

A-New 14/139, Bairagarh, Bhopal (M. P.)

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सोमानी ब्रदर्स, पता-470, जवाहर मार्ग, सियागंज, इंदौर जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00070/12, दिनांक 11-06-2012 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत रजिस्टर्ड फर्म है।

उक्त भागीदारी फर्म का दिनांक 31-03-2017 को विघटन हो गया है सो सर्व-साधारण को सूचित हो

फर्म मैसर्स सोमानी ब्रदर्स,

**नरौत्तम सौमानी,**  
(भागीदार),

(112-बी.)

पता-470, जवाहर मार्ग, सियागंज, इंदौर.

**सार्वजनिक सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सुराणा फेब्रिकेटर्स (इंडिया) पता-28, रामबाग नियर पुरानी पानी की टंकी, इंदौर जिसका पंजीयन क्रमांक 1152, दिनांक 14-07-1981 है, में दिनांक 01-04-2014 को श्रीमती आकांक्षा सुराणा पति श्री चिराग सुराणा को नये भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

वास्ते-फर्म-सुराणा फेब्रीकेटर्स (इंडिया),  
**अनिल सुराणा,**  
(भागीदार).

(113-बी.)

28, रामबाग नियर पुरानी पानी की टंकी, इंदौर.

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स होटल साकेत, छोटा तालाब, छिंदवाड़ा में एक भागीदारी फर्म है जिसका गठन वर्ष 1989 में हुआ था, फर्म का पंजीयन क्रमांक 56/1989-90 है. वर्ष 25-10-2008 में फर्म के भागीदार श्री कस्तूरी लाल लड्डा के निधन के बाद उक्त फर्म को वर्ष 2009-2010 में पुनर्गठित किया गया. जिसमें भागीदार कुलदीप कुमार चड्डा को भी भागीदारी से अलग किया गया. अतः अब पुनर्गठित फर्म में निम्न भागीदार हैं-(1) डॉ. राजकुमार चड्डा बल्द स्व. कस्तूरी लाल चड्डा, छोटा तालाब, छिंदवाड़ा, (2) श्रीमति रेणु चड्डा पति श्री हरीओम चड्डा, प्रोफेसर कॉलोनी, छिंदवाड़ा, (3) श्रीमती रेखा चड्डा पति श्री श्याम मनोहर चड्डा, प्रोफेसर कॉलोनी, छिंदवाड़ा, (4) श्री सतीश कुमार चड्डा पिता स्व. कस्तूरीलाल चड्डा, पोस्ट करेली, जिला नरसिंहपुर.

मैसर्स होटल साकेत,  
**राजकुमार चड्डा,**  
छिंदवाड़ा.

(114-बी.)

## विविध

### निविदा सूचनाएं

#### ई-निविदा सूचना

भोपाल, दिनांक 08 मई, 2017

क्र. जी. बी./दो(17)2017/982.—पेपर सील के निर्धारित तकनीकी विवरण अनुसार पेपर सहित मल्टीकलर प्रिंटिंग, पैकिंग, नम्बरिंग एवं अन्य समस्त कर सहित प्रदाय करने हेतु इस कार्यालय में जीवित पंजीकृत मुद्रक जो इंडियन बैंक एसोसियेशन (I.B.A.) में भी जीवित पंजीकृत हैं, से गोपनीय कार्य हेतु आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट <https://mpeproc.gov.in> से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 22 मई, 2017 को अपरान्ह 2.00 बजे तक की-डेड्स अनुसार आमंत्रित की जाती हैं।

2. ऑनलाईन तकनीकी निविदा की हार्डकॉपी, पेपर नमूने अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेड्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन तकनीकी भाग को दिनांक 22 मई, 2017 को अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृति प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से ऑनलाइन डाउनलोड किया जावेगा एवं हार्ड कॉपी के प्रस्तुत दस्तावेजों को खोला जावेगा।

3. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> एवं [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) पर उपलब्ध रहेगी।

राजेश कुमार कौल,  
नियंत्रक,  
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,  
मध्यप्रदेश भोपाल।

(1246)

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

लक्ष्मी उप भण्डार सहकारी संस्था मर्या., सुठालिया, जिसका पंजीयन क्र. 1143, दिनांक 27 अगस्त, 2009 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 24, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए लक्ष्मी उप भण्डार सहकारी संस्था मर्या., सुठालिया को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. सी. गुप्ता, को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा. यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(1225-G)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

उमा उप भण्डार सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर, जिसका पंजीयन क्र. 932, दिनांक 28 अप्रैल, 2004 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये, इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 25, दिनांक 03 जनवरी, 2017 को जारी किया जाकर, जवाब हेतु 30 दिन की समयावधि दी गई थी. उक्त समयावधि में संस्था द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए उमा उप भण्डार सहकारी संस्था मर्या., सारंगपुर को एतद्वारा परिसमापन में

लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एन. गुप्ता, को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि श्री के. एन. गुप्ता, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें।

आर. एस. गौर,

उप-रजिस्ट्रार.

(1225-H)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

सागर, दिनांक 13 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/633.—मोनिका महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हरदी, विकासखण्ड रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 970, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2017/304, सागर, दिनांक 20 फरवरी, 2017 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है। आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत मोनिका महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हरदी, विकासखण्ड रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 970, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री प्रमोद कापड़िया, स.नि./स.वि.अ., रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1230)

सागर, दिनांक 13 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/634.—दुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जारिया, विकासखण्ड रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 867, दिनांक 8 जुलाई, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2017/307, सागर, दिनांक 20 फरवरी, 2017 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है। आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत दुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जारिया, विकासखण्ड रहली, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 867, दिनांक 8 जुलाई, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री प्रमोद कापड़िया, स.नि./स.वि.अ., रहली को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1230-A)

सागर, दिनांक 13 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/635.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जलंधर, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 1525, दिनांक 28 जुलाई, 2015 (जिसे आगे समिति कहा गया है) द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2017/303, सागर, दिनांक 20 फरवरी, 2017 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है। आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जलंधर, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 1525, दिनांक 28 जुलाई, 2015 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री प्रभाकर कण्डया, स.नि./स.वि.अ., राहतगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।  
(1230-B)

सागर, दिनांक 13 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/636.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कांटी, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 799, दिनांक 12 अप्रैल, 2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2017/305, सागर, दिनांक 20 फरवरी, 2017 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है। आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., कांटी, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 799, दिनांक 12 अप्रैल, 2002 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री रामजी खरे, स.नि./स.वि.अ., बण्डा को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।  
(1230-C)

सागर, दिनांक 18 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/654.—झूलेलाल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 119, दिनांक 30 सितम्बर, 1999 (जिसे आगे समिति कहा गया है) द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2016/2509, सागर, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है। आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत झूलेलाल गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 119, दिनांक 30 सितम्बर, 1999 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एल. चढ़ार, व.स.नि., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 18 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1230-D)

सागर, दिनांक 18 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/655.—शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 16, दिनांक 29 सितम्बर, 1963 (जिसे आगे समिति कहा गया है) द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार समय पर निर्वाचन न कराने एवं अकार्यशील रहने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2017/306, सागर, दिनांक 20 फरवरी, 2017 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था।

कारण बताओ सूचना-पत्र का सकारात्मक एवं संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है। आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश के पत्र क्र./निर्वाचन/2016/517, भोपाल दिनांक 04 फरवरी, 2016 से सहकारी अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत किसी भी दशा में संस्था के निर्वाचन नहीं कराये जाने की स्थिति निर्मित होने पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सागर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 16, दिनांक 29 सितम्बर, 1963 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एस. एल. चढ़ार, व.स.नि., सागर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 18 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1230-E)

सागर, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/819.—श्रीकृष्ण ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., संत कवरराम वार्ड, सागर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1225, दिनांक 24 जून, 2006 है। कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/2820, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है। परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रीकृष्ण ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., संत कवरराम वार्ड, सागर, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1225, दिनांक 24 जून, 2006 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1243)

सागर, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/820.—सशक्त महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., मधुकरशाह वार्ड, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1217, दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/2821, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सशक्त महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., मधुकरशाह वार्ड, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1217, दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1243-A)

सागर, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/821.—महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., सिरोंजा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 927, दिनांक 17 सितम्बर, 2002 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/2841, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., सिरोंजा, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 927, दिनांक 17 सितम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1243-B)

सागर, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/823.—मिलन ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., शाहपुर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 958, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/2842, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मिलन ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., शाहपुर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 958, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1243-C)

सागर, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/824.—लक्ष्मी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., गंभीरिया, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1323, दिनांक 05 नवम्बर, 2008 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/2815, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लक्ष्मी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., गंभीरिया, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1323, दिनांक 05 नवम्बर, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1243-D)

सागर, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/825.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पनारी, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1123, दिनांक 16 जून, 2004 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/786, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री आर. जी. खरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी बण्डा, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पनारी, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1123, दिनांक 16 जून, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1243-E)

सागर, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/826.—कृषि उद्यान सहकारी संस्था मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 248, दिनांक 30 मार्च, 1971 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/2846, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कृषि उद्यान सहकारी संस्था मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 248, दिनांक 30 मार्च, 1971 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1243-F)

सागर, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/827.—प्राथमिक मिट्टी तेल आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 574, दिनांक 27 अगस्त, 1994 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/2864, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्राथमिक मिट्टी तेल आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 574, दिनांक 27 अगस्त, 1994 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1243-G)

सागर, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/828.—ईट-खपरा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 299, दिनांक 30 मार्च, 1976 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/2883, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी सागर, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ईट-खपरा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 299, दिनांक 30 मार्च, 1976 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1243-H)

सागर, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/829.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तुलसीनगर (खुशीपुरा), सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1326, दिनांक 07 अप्रैल, 2009 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/841, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री रजनीश नायक, सहकारी निरीक्षक, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तुलसीनगर (खुशीपुरा), सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1326, दिनांक 07 अप्रैल, 2009 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1243-I)

सागर, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/830.—सोनम बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., दयानंद वार्ड, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1333, दिनांक 08 अक्टूबर, 2009 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/844, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री रजनीश नायक, सहकारी निरीक्षक, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सोनम बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., दयानंद वार्ड, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1333, दिनांक 08 अक्टूबर, 2009 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1243-J)

सागर, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/831.—लक्ष्मीनारायण बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रामपुरा वार्ड, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1302, दिनांक 21 अप्रैल, 2008 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/812, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री रजनीश नायक, सहकारी निरीक्षक, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लक्ष्मीनारायण बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., रामपुरा वार्ड, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1302, दिनांक 21 अप्रैल, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1243-K)

सागर, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/832.—संत रविदास बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., राजीव नगर वार्ड, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1303, दिनांक 21 अप्रैल, 2008 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/811, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री रजनीश नायक, सहकारी निरीक्षक, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये संत रविदास बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., राजीव नगर वार्ड, सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1303, दिनांक 21 अप्रैल, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1243-L)

सागर, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/833.—घनश्याम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गड्डर, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1335, दिनांक 25 फरवरी, 2010 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/904, दिनांक 16 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री आर. जे. खरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये घनश्याम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गड्डर, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1335, दिनांक 25 फरवरी, 2010 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1243-M)

सागर, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/834.—बसुन्धरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भड़राना, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1337, दिनांक 19 जुलाई, 2010 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/905, दिनांक 16 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री आर. जे. खरे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बसुन्धरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भड़राना, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1337, दिनांक 19 जुलाई, 2010 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1243-N)

सागर, दिनांक 28 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/837-B.—बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., किल्लाई, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1255, दिनांक 18 जनवरी, 2008 है. कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/202, दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा परिसमापन में लाया गया है. परिसमापक श्री बसंत रोहित, सहकारी निरीक्षक, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटियां, सागर (म.प्र.) सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., किल्लाई, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1255, दिनांक 18 जनवरी, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1243-O)

पी. आर. कावड़कर,  
उप-रजिस्ट्रार.

**कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला पन्ना**

पन्ना, दिनांक 27 अप्रैल, 2017

**संशोधन आदेश**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

संस्था प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देनेन्द्रनगर, पंजीयन क्रमांक 338, दिनांक 29 दिसम्बर, 1990 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये. इस हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/परि./2017/297, दिनांक 09 फरवरी, 2017 को किया गया था तथा उसका जवाब देने के लिये दिनांक 20 मार्च, 2017 तक की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में आज दिनांक तक संस्था की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये संस्था प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देनेन्द्रनगर, पंजीयन क्रमांक 338, दिनांक 29 दिसम्बर, 1990 को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विष्णु दीक्षित, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, पन्ना को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2017/811, दिनांक 10 अप्रैल, 2017 द्वारा संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री विष्णु कुमार दीक्षित, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री राजेश कुमार अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक, पन्ना को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश जारी होने के दिनांक 27 अप्रैल, 2017 से प्रभावशील होगा. साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार अग्रवाल, पन्ना परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन कार्यालय में 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1231)

पन्ना, दिनांक 27 अप्रैल, 2017

**संशोधन आदेश**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

संस्था विश्वकर्मा काष्ठकला श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना, पंजीयन क्रमांक 660, दिनांक 30 मार्च, 2011 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाये. इस हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/विधि/परि./2017/299, दिनांक 09 फरवरी, 2017 को किया गया था तथा उसका जवाब देने के लिये दिनांक 20 मार्च, 2017 तक की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में आज दिनांक तक संस्था की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, दीप्ति बनवासी, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये संस्था विश्वकर्मा काष्ठकला श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, पन्ना, पंजीयन क्रमांक 660, पन्ना, दिनांक 30 मार्च, 2011 को एतद्वारा परिसमापन में लाती हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2017/813, दिनांक 10 अप्रैल, 2017 के द्वारा श्री विष्णु कुमार दीक्षित, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री विष्णु कुमार दीक्षित, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री उदयवीर सिंह राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, पन्ना को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश जारी होने के दिनांक 27 अप्रैल, 2017 से प्रभावशील होगा. साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री उदयवीर सिंह राठौर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, पन्ना परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अंतर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन कार्यालय में 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 27 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

दीप्ति बनवासी,

सहायक पंजीयक.

(1231-A)

**कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला आगर-मालवा**

आगर-मालवा, दिनांक 17 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/602.—माँ गायत्री प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, बडौद, तहसील बडौद, जिला आगर-मालवा, पंजीयन

क्रमांक 944, दिनांक 31 जुलाई, 2006 को कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला आगर-मालवा के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/186, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं है.

अतः मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ गायत्री प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्यादित, बडौद, तहसील बडौद, जिला आगर-मालवा का पंजीयन निरस्त करती हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2017 से नियमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1232)

आगर-मालवा, दिनांक 17 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/606.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ागांव, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 394, दिनांक 27 नवम्बर, 1986 को कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला आगर-मालवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1276, दिनांक 21 जुलाई, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं है.

अतः मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़ागांव, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर-मालवा का पंजीयन निरस्त करती हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 17 अप्रैल, 2017 से नियमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1232-A)

आगर-मालवा, दिनांक 17 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/607.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला आगर-मालवा के संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/187, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गरबड़ा, तहसील बडौद, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 200, दिनांक 07 सितम्बर, 1981) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उक्त संस्था के सदस्यों की बैठक दिनांक 23 मार्च, 2017 में संस्था को अधिनियम अनुसार संचालित करने का निर्णय पारित किया जाकर एक अवसर प्रदान किये जाने के संकल्प पारित किया गया है. प्रतिवेदन के साथ संस्था की आगामी 03 वषीय कार्ययोजना संलग्न की गयी है जिसमें संस्था में सदस्यता वृद्धि के साथ संस्था के लाभ में संचालन को दर्शाया गया है. संस्था के सुचारु कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक नामांकित प्रबंध समिति का गठन भी किया गया है. प्रबंधक, दुग्ध शीतकेन्द्र, आगर-मालवा एवं परिसमापक द्वारा अपने प्रतिवेदन में संस्था को पुनर्जीवित किये जाने की अनुशंसा की गयी है.

अतः संस्था सदस्यों द्वारा पारित निर्णय एवं परिसमापक के प्रतिवेदन के आधार पर मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गरबड़ा, तहसील बडौद, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 200, दिनांक 07 सितम्बर, 1981) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त करते हुये पुनर्जीवित करती हूँ तथा संस्था के सुचारु कार्य संचालन हेतु तीन माह के लिये निम्नानुसार नामांकित प्रबंधकारिणी कमेटी का गठन करती हूँ:-

क्रमांक	नाम पदाधिकारी	पद
1	2	3
1.	श्री देवीसिंह/शिवसिंह	अध्यक्ष
2.	श्री पर्वतसिंह/भेरूसिंह	उपाध्यक्ष

1	2	3
3.	श्री लालसिंह/कालूसिंह	संचालक
4.	श्री भंवरसिंह/लालसिंह	संचालक
5.	श्री शंकरलाल/धुलाजी	संचालक
6.	श्री अंबाराम/रामलाल	संचालक
7.	श्री नाथूलाल/कल्लाजी	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1232-B)

श्वेता रावत,

प्र. उप-पंजीयक.

### कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, उमरिया

उमरिया, दिनांक 28 फरवरी, 2017

क्र./परि./2017/141.-कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2013/248 उमरिया दिनांक 02 अप्रैल, 2013 द्वारा महिला बहु. सहकारी, समिति मर्या., अमरपुर, तहसील मानपुर, जिला उमरिया पंजीयन क्रमांक-46 दिनांक 27 अगस्त, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत तत्कालीन सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख., मानपुर को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

समिति के प्रवर्तक सदस्यों द्वारा संस्था के पुनर्जीवन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं परिसमापक द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2017 को समिति की आमसभा बुलाकर सर्व-सम्मति से लिये निर्णय के आधार पर संस्था को पुनर्जीवित करने बावत् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत परिसमापक की कार्यवाही से संतुष्ट होकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पुनर्जीवन किया जाना उचित है.

अतः मैं एम. एल. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें, उमरिया मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उक्त संस्था महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., अमरपुर, तहसील मानपुर, जिला उमरिया को पुनर्जीवित करते हुए संस्था के अगले निर्वाचन तक निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को संस्था के कार्य संपादन हेतु अधिकृत करता हूँ-

1.	श्रीमती जमीला/शहाबुद्दीन	-	अध्यक्ष
2.	श्रीमती अतीमन बी	-	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती सरफुन निसा	-	उपाध्यक्ष
4.	श्रीमती जमीला/गुलेल	-	संचालक
5.	श्रीमती रोरीबाई	-	संचालक
6.	श्रीमती फुलमती कोल	-	संचालक
7.	श्रीमती सराजुन बी	-	संचालक
8.	श्रीमती लछियाबाई	-	संचालक
9.	श्रीमती हाजरा बी	-	संचालक
10.	श्रीमती बसीरन बी	-	संचालक
11.	श्रीमती जोहरा बी	-	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1233)

एम. एल. प्रजापति,

सहायक पंजीयक.

### कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला शहडोल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57(1) सी/ग के अंतर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल, जिला शहडोल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की

धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	सत्यम दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मर्या., अमझोर, तहसील जयसिंहनगर, जिला-शहडोल.	1160/27-08-2015	1105/31-12-2016
2.	ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पोढ़ीकला रेउसा, तहसील जयसिंहनगर, जिला-शहडोल.	1124/24-09-2013	1106/31-12-2016

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड, दस्तावेज आदि का प्रभार प्राप्त नहीं हुआ है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम, 57 (1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारी को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था के लेखापुस्तकों में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा संस्था के समस्त देनदारी/लेनदारी/आस्तियों का अन्तिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 17 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गयी.

(1234)

संजय सराफ,

वरि. सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला-झाबुआ

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झकनावदा का पंजीयन क्रमांक झाबुआ, 867, दिनांक 20 दिसम्बर, 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/125, झाबुआ, दिनांक 07 फरवरी, 2017 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इसमें स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं. अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झकनावदा को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री व्ही. के. रावल, S.A., को परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 22 अप्रैल, 2017 को जारी किया गया है.

(1235)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

मारूती साख सहकारी संस्था मर्या., पेटलावद का पंजीयन क्रमांक झाबुआ, 1143, दिनांक 16 मार्च, 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2016/184, झाबुआ, दिनांक 21 फरवरी, 2017 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इसमें स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं। अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पेटलावद को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री अशोक जैन, C.I., को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 22 अप्रैल, 2017 को जारी किया गया है।

(1235-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खच्चरटोडी का पंजीयन क्रमांक झाबुआ, 463, दिनांक 04 अगस्त, 1980 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र.परि./2016/124, झाबुआ, दिनांक 07 फरवरी, 2017 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं। अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खच्चरटोडी को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री ओ. पी. पवार, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 22 अप्रैल, 2017 को जारी किया गया है।

(1235-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झाराडाबर का पंजीयन क्रमांक झाबुआ, 713, दिनांक 06 नवम्बर, 1992 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र कार्यालयीन पत्र क्र.परि./2016/126, झाबुआ, दिनांक 07 फरवरी, 2017 को जारी किया जाकर संबंधितों को प्रति उत्तर प्रस्तुत करने के लिये 15 दिवस की समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोपों के संबंध में संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं ना ही व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित हुए. इससे स्पष्ट है कि संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम, 1962 तथा संस्था की उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा संस्था पूर्ण रूप से अकार्यशील होकर निष्क्रिय हो चुकी है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. एल. बडोले, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं। अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झाराडाबर को परिसमापन में लाया जाता है तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री कैलाश मुवेल, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 22 अप्रैल, 2017 को जारी किया गया है।

(1235-C)

जी. एल. बडोले,

उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक, आदिनाथ प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्यादित, मन्दसौर, तहसील व विकासखण्ड मन्दसौर, जिला मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 25 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (सी) के अंतर्गत]

आदिनाथ प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्यादित, मन्दसौर, तहसील व विकासखण्ड मन्दसौर, जिला मन्दसौर, जिसका पंजीयन क्रमांक/UJN/20, दिनांक 08 नवम्बर, 2016 है, को उप/सहायक रजिस्ट्रार द्वारा आदिनाथ प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्यादित, मन्दसौर, तहसील व जिला मन्दसौर के आदेश क्रमांक 366/परि./मन्दसौर, दिनांक 31-03-2017 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मैं, एस.एल. बामनिया, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 क्रमांक-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियाँ

या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 02 माह के मध्य मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर में मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे, आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसंपत्ति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जावेगा।

(1236)

एस. एल. बामनिया,  
सहकारी निरीक्षक.

**कार्यालय परिसमापक, दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, बाबुल्दा, तहसील भानपुरा, विकासखण्ड भानपुरा, जिला मन्दसौर**

मन्दसौर, दिनांक 17 अप्रैल, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (सी) के अंतर्गत]

दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, बाबुल्दा, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक/941, दिनांक 19 जनवरी, 2011 है, को उप-रजिस्ट्रार द्वारा दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, बाबुल्दा, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर के आदेश क्रमांक 360, मन्दसौर, दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मैं, अनिल जैन, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 क्रमांक-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियां या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 02 माह के मध्य मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर में मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे, आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसंपत्ति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 17 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जावेगा।

(1237)

अनिल कुमार जैन,  
सहकारी निरीक्षक.

**कार्यालय परिसमापक, दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित, निम्बाखेडी, तहसील दलोदा, जिला मन्दसौर**

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक-57 (सी) के अंतर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर के आदेश क्रमांक 363/परि./2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 द्वारा दुग्ध सहकारी संस्था मर्यादित, निम्बाखेडी, तहसील दलोदा, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक/369, दिनांक 20 मार्च, 1986, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे (अधोहस्ताक्षरकर्ता) परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मैं, अनिल ओझा, सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम क्रमांक-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियां या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर से मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे, आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसंपत्ति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 11 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1238)

अनिल ओझा,  
सहकारी निरीक्षक.

**कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला कटनी**

कटनी, दिनांक 24 जनवरी, 2017

क्र./संपक/परि./17/102.-मांझी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, सिनगौड़ी, पं. क्र. 24, दि. 21 अगस्त, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपक/परिसमापन/1522, दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए मांझी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, सिनगौड़ी, पं. क्र. 24, दि. 21 अगस्त, 2002 पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 24 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1239)

कटनी, दिनांक 17 अप्रैल, 2017

क्र./सपंक/परि./17/557.-शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पड़वार, पं. क्र. 176, दिनांक 06 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/326, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्टित हैं, का प्रयोग करते हुए शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, पड़वार, पं. क्र. 176, दि. 06 जून, 2014 पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

भरत कुमार मोदी,  
सहायक पंजीयक.

(1239-A)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, बहोरीबंद, जिला कटनी

कटनी, दिनांक 23 अप्रैल, 2016

सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी के द्वारा परिसमापनाधीन निम्नानुसार उनके नाम के आगे आदेश क्र. एवं दिनांक द्वारा परिसमापक नियुक्त किया जाकर संस्थाओं की लेनदारी, देनदारी का निराकरण करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है, विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	समिति के नाम व पता	पं. क्र./दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	पुष्पावती बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., बिलहरी	123/09-02-2013	258/24-03-2015
2.	बरही दुग्ध सह. समिति मर्या., बरही	144/18-10-2012	560/23-04-2016
3.	डिहुटा दुग्ध सह. समिति मर्या., डिहुटा	145/18-10-2012	561/23-04-2016
4.	बरतरी दुग्ध सह. समिति मर्या., बरतरी	143/18-10-2012	562/23-04-2016
5.	बड़खेरा दुग्ध सह. समिति मर्या., बड़खेरा	150/18-10-2012	563/23-04-2016
6.	पाकर दुग्ध सह. समिति मर्या., पाकर	151/18-10-2012	564/23-04-2016
7.	भखरवारा दुग्ध सह. समिति मर्या., भखरवारा	147/18-10-2012	565/23-04-2016
8.	अमरगढ़ दुग्ध सह. समिति मर्या., अमरगढ़	148/18-10-2012	566/23-04-2016
9.	हथियागढ़ दुग्ध सह. समिति मर्या., हथियागढ़	149/18-10-2012	567/23-04-2016
10.	भटगवाँ दुग्ध सह. समिति मर्या., भटगवाँ	146/18-10-2012	568/23-04-2016

अतः मैं, ए. एस. तोमर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, कार्यालय सहायक पंजीयक (ऑडिट) सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57 के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति जिस किसी के पास कोई दावा आपत्तियां या रिकार्ड या राशि लेनदारी/देनदारी शेष हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस के अन्दर) मुझे कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी में उपस्थित होकर प्रमाण सहित लिखित में प्रस्तुत करें। उक्त समयवाधि के पश्चात् दावे, आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जावेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के भूतपूर्व या वर्तमान कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई भी रिकार्ड/परिसंपत्ति/नगदी हो तो उसे उक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(1242)

ए. एस. तोमर,  
वरिष्ठ सह. निरी. एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

## कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 31 मार्च, 2017

क्र./परि./2017/546.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2001/1881, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 एवं संशोधित आदेश क्र./परि./2014/522, दिनांक 16 जून, 2014 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बामनखेड़ा, तहसील एवं जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./385, 27 सितम्बर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एम. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बामनखेड़ा, तहसील एवं जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बामनखेड़ा, तहसील एवं जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./385, 27 सितम्बर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कापोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1240)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च, 2017

क्र./परि./2017/547.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2001/1881, विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 एवं संशोधित आदेश क्र./परि./2014/522, दिनांक 16 जून, 2014 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सलैया, तहसील एवं जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./397, 08 अक्टूबर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एम. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सलैया, तहसील एवं जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सलैया, तहसील एवं जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./397, 08 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कापोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1240-A)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च, 2017

क्र./परि./2017/548.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2006/275, विदिशा, दिनांक 28 फरवरी, 2006 एवं संशोधित आदेश क्र./परि./2014/522, दिनांक 16 जून, 2014 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अटारीखेजड़ा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./278, 31 जुलाई, 1986 को परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एम. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अटारीखेजड़ा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अटारीखेजड़ा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./278, 31 जुलाई, 1986 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कापॉरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1240-B)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च, 2017

क्र./परि./2017/549.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2006/301, विदिशा, दिनांक 06 मार्च, 2006 एवं संशोधित आदेश क्र./परि./2014/522, दिनांक 16 जून, 2014 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, वर्धा, तहसील नटेरन, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./288, 31 अक्टूबर, 1986 को परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एम. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, वर्धा, तहसील नटेरन, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, वर्धा, तहसील नटेरन, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./288, 31 अक्टूबर, 1986 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कापॉरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1240-C)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च, 2017

क्र./परि./2017/550.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2006/299, विदिशा, दिनांक 06 मार्च, 2006 एवं संशोधित आदेश क्र./परि./2014/522, दिनांक 16 जून, 2014 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खामखेड़ा, तहसील एवं जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./390, 01 अक्टूबर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एम. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खामखेड़ा, तहसील एवं जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खामखेड़ा, तहसील एवं जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./390, 01 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कापॉरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1240-D)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च, 2017

क्र./परि./2017/551.—इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./2006/278, विदिशा, दिनांक 28 फरवरी, 2006 एवं संशोधित आदेश

क्र./परि./2014/522, दिनांक 16 जून, 2014 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रावन, तहसील नटेरन, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./371, 03 अगस्त, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री के. एम. अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रावन, तहसील नटेरन, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अंतिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1), एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ5-1-99/एक पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रावन, तहसील नटेरन, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर./व्ही. डी. एस./371, 03 अगस्त, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम-निकाय (बाडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

ए. के. सिंह,  
उप-पंजीयक.

(1240-E)

### कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला-सिवनी

सिवनी, दिनांक 02 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अंतर्गत]

जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियां जिसे उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला-सिवनी के आदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परि. आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	डॉ. अम्बेडकर चर्म विकास सह. समिति मर्या., कान्हीवाड़ा	779/27-10-2001	430/31-03-2017
2.	सोनिया गांधी उपभोक्ता भण्डार, सिवनी	758/10-04-1998	430/31-03-2017
3.	शिवानी बहुउद्देशीय सह. समिति मर्या., सिवनी	778/06-09-2001	430/31-03-2017
4.	प्रिदर्शनी गृह निर्माण सह. समिति मर्या., छिड़ियापलारी	462/20-01-1996	430/31-03-2017

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं.

अतः मैं, एम. जी. सोनी, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम (नियम), 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समक्ष कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे. प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार, अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हो तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा.

यह सूचना आज दिनांक 02 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

एम. जी. सोनी,  
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(1244)

**कार्यालय परिसमापक एवं व.स.नि. सहकारी संस्थाएं, जिला-सिवनी**

सिवनी, दिनांक 01 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अंतर्गत]

जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियां जिसे उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला-सिवनी के आदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परि. आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	पीतलपात्र औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., सिवनी	054/15-10-1960	430/31-03-2017
2.	आदिवासी हरिजन बिड़ी श्रमिक सहकारी समिति मर्या., सिवनी	334/18-01-1982	430/31-03-2017
3.	बाल्मिकी रेशा उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिवनी	325/02-12-1980	430/31-03-2017
4.	अगरबत्ती कामगार सहकारी समिति मर्या., खारी	328/21-02-1981	430/31-03-2017

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं.

अतः मैं, एन. डी. कटरे, परिसमापक एवं वरि. सह. निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, (नियम) 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समक्ष कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे. प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार, अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हो तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा.

यह सूचना आज दिनांक 01 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1244-A)

एन. डी. कटरे,  
परिसमापक एवं व.स.नि.

**कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला-सिवनी**

सिवनी, दिनांक 02 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अंतर्गत]

जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियां जिसे उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला-सिवनी के आदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परि. आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सिवनी	080/23-01-1961	430/31-03-2017
2.	पर्यावरण वाहिनी श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., सिवनी	788/19-12-2000	430/31-03-2017
3.	शिक्षित बेरोजगार कल्याण मुद्रण सहकारी समिति मर्या., सिवनी	405/19-06-1985	430/31-03-2017
4.	प्राथ. खदान स्टोन क्रेशर सहकारी समिति मर्या., सिवनी	288/26-11-1991	430/31-03-2017
5.	बैनगंगा महिला स्टेशनर्स सहकारी समिति मर्या., सिवनी	759/20-05-1998	430/31-03-2017

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः मैं, एस. डी. तंतुवाय, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, (नियम) 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समक्ष कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे. प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार, अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हो तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा.

यह सूचना आज दिनांक 02 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1244-B)

एस. डी. तंतुवाय,  
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

### कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला-सिवनी

सिवनी, दिनांक 02 मई, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अंतर्गत]

जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियां जिसे उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला-सिवनी के आदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परि. आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	नर्मदा बुनकर सहकारी समिति मर्या., धनवाही	309/24-12-1977	430/31-03-2017
2.	शक्ति चलित सहकारी समिति मर्या., सिवनी	279/21-01-1971	430/31-03-2017
3.	पीतलपात औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., आदेगांव	019/20-05-1979	430/31-03-2017
4.	कुम्हार औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., भौमा	130/17-05-1973	430/31-03-2017
5.	आ.ग्रा. तेल उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिहोरा	233/19-02-1969	430/31-03-2017

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः मैं, डी. के. डहेरिया, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, (नियम) 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समक्ष कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे. प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार, अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हो तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा.

यह सूचना आज दिनांक 02 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(1244-C)

डी. के. डहेरिया,  
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

**कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शिवपुरी**

शिवपुरी, दिनांक 04 मई, 2017

क्र./परि./2017/1211.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/1613, दिनांक 29 अगस्त, 2016 द्वारा जय शिव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषप्रद न होने के कारण यह परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत जय शिव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 668, दिनांक 06 मई, 2016 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. के. मडोइया, अंकेक्षण अधिकारी, को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(1245)

शिवपुरी, दिनांक दिनांक 04 मई, 2017

क्र./परि./2017/1212.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/1614, दिनांक 29 अगस्त, 2016 द्वारा श्री राधे प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषप्रद न होने के कारण यह परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत श्री राधे प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 689, दिनांक 06 मई, 2016 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. के. मडोइया, अंकेक्षण अधिकारी, को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(1245-A)

शिवपुरी, दिनांक दिनांक 04 मई, 2017

क्र./परि./2017/1213.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/589, दिनांक 27 फरवरी, 2017 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भोराना, तहसील व जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भोराना, तहसील व जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 724, दिनांक 20 सितम्बर, 2016 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(1245-B)

शिवपुरी, दिनांक दिनांक 04 मई, 2017

क्र./परि./2017/1214.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/577, दिनांक 27 फरवरी, 2017 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मुढेनी, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मुढेनी, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 706, दिनांक 03 सितम्बर, 2016 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(1245-C)

शिवपुरी, दिनांक दिनांक 04 मई, 2017

क्र./परि./2017/1215.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/578, दिनांक 27 फरवरी, 2017 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बेरखेडा, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बेरखेडा, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 710, दिनांक 03 सितम्बर, 2016 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(1245-D)

शिवपुरी, दिनांक दिनांक 04 मई, 2017

क्र./परि./2017/1216.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/592, दिनांक 27 फरवरी, 2017 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भीमपुर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भीमपुर, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 726, दिनांक 20 सितम्बर, 2016 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(1245-E)

शिवपुरी, दिनांक दिनांक 04 मई, 2017

क्र./परि./2017/1217.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/581, दिनांक 27 फरवरी, 2017 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खडीचा, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषप्रद न होने के कारण यह परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खडीचा, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 715, दिनांक 08 सितम्बर, 2016 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एन. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(1245-F)



अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बूडदा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 721, दिनांक 20 सितम्बर, 2016 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एन. एस. बरेलिया, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(1245-J)

शिवपुरी, दिनांक 04 मई, 2017

क्र./परि./2017/1222.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/585, दिनांक 27 फरवरी, 2017 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कपराना, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कपराना, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 719, दिनांक 20 सितम्बर, 2016 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एन. एस. बरेलिया, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(1245-K)

शिवपुरी, दिनांक 04 मई, 2017

क्र./परि./2017/1223.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/590, दिनांक 27 फरवरी, 2017 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., टोडा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., टोडा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 723, दिनांक 20 सितम्बर, 2016 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एन. एस. बरेलिया, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(1245-L)

शिवपुरी, दिनांक 04 मई, 2017

क्र./परि./2017/1224.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/583, दिनांक 27 फरवरी, 2017 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., श्रीपुरा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है। अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., श्रीपुरा, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 717, दिनांक 08 सितम्बर, 2016 है, को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एन. एस. बरेलिया, अंकेक्षण अधिकारी को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(1245-M)



अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., खुटेला, तहसील व जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 709, दिनांक 03 सितम्बर, 2016 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. बंसल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

(1245-Q)

शिवपुरी, दिनांक 04 मई, 2017

क्र./परि./2017/1229.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/591, दिनांक 27 फरवरी, 2017 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिमरिया, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सिमरिया, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी, जिसका पंजीयन क्रमांक 722, दिनांक 20 सितम्बर, 2016 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री चमन सिंह, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(1245-R)

शिवपुरी, दिनांक 04 मई, 2017

क्र./परि./2017/1230.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/579, दिनांक 27 फरवरी, 2017 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कालीपहाडी, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कालीपहाडी, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 713, दिनांक 08 सितम्बर, 2016 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री चमन सिंह, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(1245-S)

शिवपुरी, दिनांक 04 मई, 2017

क्र./परि./2017/1231.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/575, दिनांक 27 फरवरी, 2017 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बगेधरी अब्बल, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बगेधरी अब्बल, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 698, दिनांक 29 अगस्त, 2016 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री हर्षबर्धन, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(1245-T)

शिवपुरी, दिनांक 04 मई, 2017

क्र./परि./2017/1232.—कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/587, दिनांक 27 फरवरी, 2017 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., टोरिया खुर्द, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी को अक्रियाशील होकर मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपनियमों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर 30 दिवस में जवाब चाहा गया था किन्तु संस्था द्वारा पर्याप्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि, संस्था के सदस्य कार्य में रुचि नहीं रखते हैं एवं संस्था सदस्यों के हित में कार्य नहीं कर रही है. अतः मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., टोरिया खुर्द, तहसील नरवर, जिला शिवपुरी जिसका पंजीयन क्रमांक 720, दिनांक 20 सितम्बर, 2016 है, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री हर्षबर्धन, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

(1245-U)

शिवपुरी, दिनांक 04 मई, 2017

क्र./परि./2017/1233.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयक क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	खनिज उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., नरवर, जिला शिवपुरी.	445/25-10-1999	2837/31-12-2015	श्री व्ही. के. जैन, सहकारी निरीक्षक.

चूंकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 04 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(1245-V)

शिवपुरी दिनांक 04 मई, 2017

क्र./परि./2017/1234.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में दर्शित एवं कॉलम नम्बर 3 के पंजीयक क्रमांक एवं दिनांक वाली सहकारी समिति को (जिसे आगे समिति कहा गया है) मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुये धारा-70(1) के अन्तर्गत कॉलम नम्बर 5 में दर्शित अधिकारी/कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 में दर्शित आदेश क्रमांक एवं दिनांक से परिसमापक नियुक्त किया गया था:-

क्र.	नाम परिसमापन समिति	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन की नियुक्ति आदेश क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5
1.	मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., चमरौआ, जिला शिवपुरी.	409/23-02-1998	758/04-06-2014	श्री व्ही. के. जैन, सहकारी निरीक्षक.

चूँकि कॉलम नम्बर 2 में दर्शित समिति के कॉलम नम्बर 5 में उल्लेखित परिसमापक ने समिति की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, एस. के. सिंह, उप-पंजीयक सहकारी समितियां, शिवपुरी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 25 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत उपरोक्त सूची में वर्णित समिति का पंजीयन निरस्त करता हूँ अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 04 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(1245-W)

एस. के. सिंह,  
उप-रजिस्ट्रार



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मई, 2017-वैशाख 29, शके 1939

### भाग 3 (2)

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016

1. **मौसम एवं वर्षा.**-राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.
2. **जुताई.**- जिला श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरोली, झाबुआ, खरगोन, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिण्डौरी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
3. **बोनी.**- जिला बुरहानपुर चना, गेहूँ व डिण्डौरी में चना, गेहूँ, अलसी, मटर, मसूर, बैतूल में चना, गेहूँ, मटर, मसूर, राई-सरसों, व श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरोली, खरगौन, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी व बालाघाट में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
4. **फसल स्थिति-**
5. **कटाई.**- जिला डिण्डौरी में फसल धान, दमोह व सीधी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.
6. **सिंचाई.**- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल व बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
7. **पशुओं की स्थिति.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.
8. **चारा.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
9. **बीज.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.
10. **खेतिहर श्रमिक.**- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुथरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. *जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस	.. .. .. .. .. ..				
<b>2. जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, धनिया, मेथी, मसूर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर	.. .. ..				
<b>3. जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन	.. .. .. .. .. .. ..				
<b>4. जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव	.. .. .. ..				
<b>5. जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर	.. .. ..				
<b>6. जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास	.. .. .. .. .. .. .. ..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>7. जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. उड़द, गन्ना, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
<b>8. जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) गेहूँ, चना, धनिया, मसूर, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
<b>9. जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2 ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) अरहर, चना, राई-सरसों, मटर, गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
<b>10. जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बक्सवाहा	..				
<b>11. जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
<b>12. जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>13. जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) अरहर, गन्ना, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, तिल, तिवड़ा, जौ सुधरी हुई. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>14. जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ कम. अरहर, अलसी, मसूर, चना, राई-सरसों समान. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगावां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
<b>15. जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर अधिक. मसूर समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्चुलियान	..				
<b>16. जिला शहडोल:</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, कोदों-कुटकी, तुअर, राई, चना अधिक. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. बुढार	..				
5. जैतपुर	..				
6. गोहपारू	..				
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, राई, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, ज्वार, तुअर, मूँग, तिल, चना, अलसी, राई, गेहूँ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) राई-सरसों, गेहूँ, कम. अलसी, चना, मसर, जौ समान. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम. राहर, ज्वार, अलसी, मटर, राई समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुंधड़क्का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
23. *जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलोदा	..				
6. रतलाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ौदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>27. जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>28. जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास, तुअर अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
<b>29. जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मक्का, मूँगफली अधिक. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोंडवा	..				
5. भामरा	..				
<b>30. जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, कपास, गन्ना अधिक. मक्का कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>31. जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	..				
<b>32. जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का अधिक. ज्वार, धान बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>33. जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) गन्ना, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		ज्वार, कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	..		(2) ..		
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
<b>34. जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	..				
<b>35. जिला बुधनपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं चना, गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुधनपुर	..		4. (1) कपास अधिक	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..		(2) ..		
<b>36. जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. श्यामपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. आष्टा	..				
4. जावरा	..				
5. इछावर	..				
6. नसरुल्लागंज	..				
7. रेहटी	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. रबी फसल गेहूँ, मसूर, चना, मटर, राई-सरसों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, गन्ना, उड़द, तुअर अधिक. सोयाबीन मूंग कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, अलसी, मटर, मसूर, राई सरसों कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझोली	..				
5. कुण्डमपुर	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, ज्वार. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>46. जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा ..					
2. करेली ..					
3. नरसिंहपुर ..					
4. गोटेगांव ..					
5. तेंदूखेड़ा ..					
<b>47. *जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. निवास ..					
2. बिछिया ..					
3. नैनपुर ..					
4. मण्डला ..					
5. घुघरी ..					
6. नारायणगंज ..					
<b>48. जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गोहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर की बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदो-कुटकी, तुअर, रामतिल, उड़द समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी ..					
2. बजाग ..					
3. शाहपुरा ..					
<b>49. जिला छिंदवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा ..					
2. जुन्नारदेव ..					
3. परासिया ..					
4. तामिया ..					
5. सोंसर ..					
6. पांडुर्णा ..					
7. अमरवाड़ा ..					
8. चौरई ..					
9. चाँद ..					
10. बिछुआ ..					
11. हरई ..					
12. मोहखेड़ा ..					
13. उमरेठ ..					
<b>50. जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, कोदो-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन्, गन्ना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी ..					
2. केवलारी ..					
3. लखनादोन ..					
4. बरघाट ..					
5. कुरई ..					
6. घंसोर ..					
7. घनोरा ..					
8. छपारा ..					
<b>51. जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट ..					
2. लाँजी ..					
3. बैहर ..					
4. वारासिवनी ..					
5. कटंगी ..					
6. किरनापुर ..					
7. खैरलाँजी ..					
8. लालबर्रा ..					
9. परसवाड़ा ..					
10. बिरसा ..					

टीप.-\*जिला मुरैना, नीमच, रतलाम, मण्डला से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

सुहेल अली,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1229)